न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 42/2020

GCMS NO. : 2020/00095

–:: सायल ::–	**बनाम**	**–:: गैरसायलान ::–**
1. सांवलराम पुत्र चंद्राराम उर्फ रामचन्द्र जाति ढोली निवासी मोयलो का बास मुण्डावा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. सीयाराम पुत्र लालीया जाति ढोली निवासी मुण्डावा 2. हड़मान पुत्र गंगाराम जाति ढोली निवासी घोड़ावड 3. मेवाराम पुत्र भीकाराम जाति गुर्जर निवासी मुण्डावा तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 07/08/2020

उपस्थित:. 1. श्री राजूनाथ, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय :– **दिनॉक: 28/09/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायल संख्या 01 की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोड़ावड़ भू. अभि.नि. क्षेत्र बलाड़ा तहसील जैतारण जिला–पाली में खसरा नम्बर 212 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। जिस पर सायल एवं गैरसायल संख्या 01 अपने अपने हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि सायल की पैतृक पुश्तैनी है उक्त भूमि पूर्व में सायल के दादा लालीया के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, तत्पश्चात उनका देहान्त होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण के पटवार हल्का घोड़ावड़ तहसील जैतारण जिला–पाली के जरिये सायल के पिता चन्द्राराम के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कि जानी थी। लेकिन तत्तकालीन हल्का पटवारी ने सायल के पिता का सही नाम चंद्राराम की बजाय रामचन्द्र नाम की गलत पृविष्टि कर दी व उसी के आधार पर चौसाला जमाबन्दी मे भी चंद्राराम की बजाय रामचन्द्र नाम का अंकन कर दिया, जो गलत है सायल के पिता का वास्तविक नाम चंद्राराम पुत्र लालाराम है। सायल के पिता के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय पत्र सभी में सायल के पिता का नाम चंद्राराम पुत्र श्री लालाराम दर्ज है। लेकिन विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में रामचन्द्र के नाम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:05:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

अंकन होने से सायल को भारी परेशानिया उठानी पड़ रही है। इस बाबत एक प्रार्थना पत्र घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का सायल ने पेश कर रखा है। सायल के पिता चंद्राराम पुत्र लालाराम का स्वर्गवास 01.07.2017 को हो चुका है। जिनके देहान्त के बाद सायल ने हल्का पटवारी से सायल व उनके परिवार के नाम इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरणकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया लेकिन हल्का पटवारी द्वारा सायल को अवगत कराया गया कि इस विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में सही नाम चंद्राराम के नाम की बजाय गलत नाम रामचन्द्र दर्ज है। जिसे न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कर आप सुधरावे ऐसा दिनांक 02.03.2020 को हल्का पटवारी द्वारा सायल को अवगत कराया गया जिस पर सायल ने सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया। इस प्रकार से सायल की इस विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में सायल के पिता के सही नाम चंद्राराम पुत्र लालाराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम रामचन्द्र पुत्र लालीया के स्थान पर सायल दर्ज करवाने, ऐसी घोषणा करवाने व रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के सायल अधिकारी होने से पूर्व में प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादर प्रस्तुत किया जा चुका है। दिनांक 28.07.2020 को दिन में सायल अपने खेत की रखवाली करने गया तब गैरसायल मेवाराम गुर्जर ट्रेक्टर लेकर जबरदस्ती सायल के वादग्रस्त खेत में घुस गया तथा ट्रेक्टर से जबरन खड़ाई करने लगा सायल ने गैरसायल मेवाराम को खड़ाई करने से मना किया तो गैरसायल ने सायल को फायसा गालिया बोली और जाति सूचक शब्दो से नीच कमीण डेढ ढोलीड़ा से अपमानित किया तथा सायल को धमकी दी कि वह सायल की कृषि जमीन को हड़प कर लेगा। गैरसायल मेवाराम द्वारा सायल के खेत में पाल (माठ) को क्षतिग्रस्त करने से सायल को करीबन 15,000/- रूपये का नुकशान पहुंचाया। जिसकी एक लिखित रिपोर्ट सायल ने पुलिस थाना जैतारण में दी जिसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सायल ने बाद में पता किया तो उसे ज्ञात हुआ कि गैरसायल सीयाराम गैरसायल मेवाराम ने उसकी 1/4 हिस्से के भूमि खरीद कर ली परन्तु अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी जमीन होने से कानूनन मेवाराम के नाम बैचान दस्तावेज पंजीकृत नही हो सकता था। इसलिये मेवाराम ने अपने खास मिलने वाले व्यक्ति हड़मान के नाम बैचान दस्तावेज पंजीयन करवाया। इस प्रकार गैरसायल हडमानराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। हालाकि उक्त व्यवहार होने से हड़मानराम का नाम राजस्व रेकर्ड में तो दर्ज हुआ परन्तु हड़मानराम की आड़ मे मेवाराम को सायल के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करने का या नुकशान पहुंचाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायल मेवाराम को सायल की भूमि के किसी भी भू-भाग पर जबरन कब्जा करके खड़ाई करने य फसल बोने का कोई अधिकार प्राप्त नही है [illegible] मान राम की आड में गैरसायल मेवाराम सायल की कृषि भू [illegible] करेगा तो सायल को उसने कानूनी साम्पैतिक खातेदारी [illegible] वंचित होना पड़ेगा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:05:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

सायल को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी सम्भव नहीं हो सकेगी। तथ्यो, परिस्थितियो व दस्तावेजात व मौके पर लगातार कब्जे व काश्त की रूह से सायल का बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टिया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रत्येक दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र व दस्तावेज पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में अथवा उक्त कृषि भूमि के किसी भी भू–भाग पर गैरसायलान जबरन प्रवेश करके कब्जा नही करे। न ही सायल की कृषि भूमि को हड़प करने का प्रयास करे। सायल अपनी खातेदारी की भूमि का मन माफिक उपयोग–उपभोग करे भूमि पर काश्त एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे उसमें किसी तरह की बाधा अड़चन दखलन्दाजी रोक टोक व व्यवधान न तो गैरसायलान स्वयं करें न परिवार के रिश्तेदार व सदस्य या हाली ऐजेन्ट आदि से करवावें। ऐसा वाद के निर्णय तक रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। बावजून सम्मन सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से गैरसायलान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 92ए के अन्तर्गत वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के सह–खातेदार वादी के पिता रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम पुत्र लालाराम का स्वर्गवास दिनांक 01/07/2017 को हो चुका है परन्तु वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने से वादी के पक्ष में नामांतरण दर्ज नहीं किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी ने यह कथन किया कि भीकाराम सह–खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 हड़मान पुत्र गंगाराम की आड में वादी के खातेदारी कब्जा काश्त भूमि में दखलंदाजी करने या नुकसान पहुँचानें या जबरन प्रवेश करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादी मेवाराम को वादी की भूमि के किसी भी भू–भाग पर जबरन कब्जा करके खड़ाई या फसल बोने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र का किसी भी रूप में खण्डन किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:05:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, जैतारण

उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 मेवाराम पुत्र भीकाराम वादग्रस्त आराजी में न तो सह–खातेदार है व न ही उसका उक्त भूमि पर कोई हक–अधिकार होना प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 उक्त आराजी में एक असंबंधित व्यक्ति है। प्रार्थी के सशपथ कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहा है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि प्रार्थी के पिता के फौत के पश्चात् पिता की हक–हिस्से तक की आराजी में प्रथम दृष्टया प्रार्थी का अधिकार सुरक्षित रहता है तथा अप्रार्थी संख्या 3 उक्त आराजी से असंबंधित व्यक्ति है जो तथाकथित रूप से दखलंदाजी कर रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक–हिस्से तक प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के पक्ष में स्थापित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः**– प्रथम बिंदू प्रार्थी के हक–हिस्से तक प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। प्रार्थी ने यह सशपथ कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कथनों का खण्डन नहीं किया गया। पत्रावली व भू–अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी में हक–अधिकार निहित है तथा प्रश्नगत आराजी से अप्रार्थी संख्या 3 का क्या संबंध है यह किसी भी रूप में स्पष्ट नहीं होता। अतः प्रार्थी के हक–हिस्से तक की आराजी में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः**– प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थी के हक–हिस्से तक प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही, पिता के फौत के पश्चात् पिता के हक–हिस्से तक की आराजी में यदि कोई अजनबी व्यक्ति दखलंदाजी करता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के हक–हिस्से तक प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हम गैरसायल संख्या 3 को प्रश्नगत आराजी में सायल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करने व न ही किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोड़ाव[illegible] भ.नि. क्षेत्र बलाड़ा तहसील जैतारण जिला–पाली में खसरा नम्बर 212 रकबा [illegible] बीघा 17 बिस्वा में वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी [illegible] किसी प्रकार का व्यवधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:05:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

उत्पन्न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/09/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:05:17 IST
Reason: SelfAttested